

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक एफ. 2(18)नविवि/5/2009पार्ट-II

जयपुर, दिनांक :- 8 MAR 2011

सचिव,
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर।

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर।

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवाड़ी/
भीलवाड़ा/बीकानेर/आबू जिला
सिरोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर
/जैसलमेर।

विषय :- अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के संबंध में।
सन्दर्भ :- पत्र क्रमांक 2(18)नविवि/5/2009पार्ट-II दिनांक 30.09.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं. 'डी' में टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत 2 हेक्टर से कम क्षेत्रफल की टाउनशिप योजना में आवारसीय क्षेत्रफल का न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल EWS/LIG ग्रुप हाउसिंग अथवा कुल भूखण्डों/आवासों का 15 प्रतिशत जो भी अधिक हो EWS/LIG कैटेगिरी के लिए आरक्षित रहेगा का उल्लेख है। इस बिन्दु में "2 हेक्टर से कम" त्रुटिवश अंकित हो गया है इसे 2 हेक्टर से कम के स्थान पर 2 हेक्टर से अधिक पढ़ा जावे। उक्त संशोधन अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 जारी होने की तिथी से ही लागू होगा।

भवदीय,

(पुरुषोत्तम बियाणी)
उप शासन सचिव-प्रथम